## राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
## झारखंड के
## बीस जिलों में लागू

- बोकारो
- चतरा
- धनबाद
- दुमका
- गढ़वा
- गिरिडीह
- गोड्डा
- गुमला
- हजारीबाग
- जामताड़ा
- कोडरमा
- लातेहार
- लोहरदगा
- पाकुड़
- पलामू
- रांची
- साहेबगंज
  सरायकेला
- सिमडेगा
- पश्चिम सिंहभूम



# सौ दिन रोजगार
# कानूनी अधिकार

संवाद मंथन . रांची

**राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून**

# सौ दिन रोजगार, कानूनी अधिकार


लेखन एवं संपादन : शरद तिवारी, विष्णु राजगढ़िया, डॉ0 नीरू जौहरी, सुधीर पाल



संस्करण : जून, 2006



सर्वाधिकार : सुरक्षित



कला एवं सज्जा : अभिषेक

प्रकाशक : संवाद मंथन (मंथन युवा संस्थान)
हिंदपीढ़ी थर्ड स्ट्रीट, रांची– 834001, झारखंड,
दूरभाष– 0651–2202202
ई–मेल : palbroad@yahoo.co.in

मुद्रक : पाल ब्रॉडकास्टिंग प्रा0 लि0, रांची

"This document is an output from a project funded by the Department for International Development, UK, for the benefit of developing countries. The views expressed are not necessarily those of Department for International Development, United Kingdom".


## अनुक्रम


| | |
|---|---|
| झारखंड के बीस जिलों की सूची | 4 |
| प्राक्कथन– | 5 |
| मुख्य बातें | 6 |
| क्यों जरूरी है काम का अधिकार | 7 |
| महाराष्ट्र ने दिखायी नयी राह | 8 |
| सौ दिन रोजगार, अब कानूनी हथियार | 9 |
| रोजगार गारंटी कानून से लाभ | 15 |
| रोजगार गारंटी कानून की विशेषताएं | 17 |
| झारखंड में पंचायत न होना बड़ी समस्या | 40 |
| पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र | 42 |

# महाराष्ट्र ने दिखायी राह

**का**म के अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए रोजगार गारंटी कानून के मामले में महाराष्ट्र पिछले बीस बरस से भी अधिक समय से राह दिखाता आया है. 1970 के दशक में महाराष्ट्र में विधानसभा द्वारा पारित रोजगार गारंटी योजना के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति (स्त्री या पुरूष) काम की मांग करता है तो सरकार उसे न्यूनतम मजदूरी के साथ काम करने का अवसर उपलब्ध करायेगी. इस कानून को राज्य में पूरी सफलता भले नहीं मिल पायी हो, फिर भी इससे रोजगार के अवसर बढ़े. इस योजना के अंतर्गत एक औसत कार्य–दिवस में तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं जो समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं. इसके अलावा इस योजना के कई दूसरे फायदे भी हैं जिनमें खाद्य सुरक्षा, पलायन पर रोक और महिला–श्रमिकों की स्थिति में सुधार प्रमुख हैं.

आजादी के बाद भारत के विकास लक्ष्यों एवं योजनाओं का मूल्यांकन करें तो हम पायेंगे कि 58 वर्षों में कई तरह की योजनाएं शुरू हुईं. सभी का लक्ष्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारना रहा है. लेकिन इन सभी योजनाओं का परिणाम अंत में हास्यास्पद ही रहा. इन योजनाओं को लागू कराने वालों के जीवन स्तर में जबरदस्त बदलाव आया लेकिन जिनके लिये योजना चलायी गयी वे वहीं छूट गये.

जमीनी आंदोलनों से जुड़े संगठनों के लंबे संघर्ष के बाद पहली बार भारत में रोजगार पाना एक संवैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है. लेकिन यह अधिकार पूर्व के प्राप्त अधिकारों जैसे ही न रह पाये इसके लिए नागर समाज संगठनों को आगे आना होगा. उन्हें इस कानूनी अधिकार को प्राप्त करने व कराने में लोगों की मदद करनी होगी. तभी यह व्यावहारिक हो सकता है.



## प्राक्कथन

**व**र्ष 2005 को भारतीय नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों के विस्तार, सुशासन और लोककल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए याद किया जायेगा. इस वर्ष भारतीय नागरिकों को न सिर्फ सूचना का अधिकार के रूप में जबरदस्त हथियार मिला है बल्कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में आजीविका का सहारा भी मिला है. यह सहारा चाहे जितना भी सीमित व अपर्याप्त क्यों न लगे, यह हरेक भारतीय नागरिक के प्रति राज्य–तंत्र के दायित्व की स्वीकारोक्ति है जिसे क्रमशः विस्तार दिया जा सका तो सच्चे लोककल्याणकारी राज्य की भावना साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है.

यही कारण है कि 'पैक्स' ने प्रारंभ से ही इन कानूनों से जुड़े विविध प्रश्नों पर जनचेतना विकसित करने तथा विचार–विमर्श की प्रक्रिया तेज करने की हर संभव कोशिश की है. झारखंड अलग राज्य के गठन के साथ ही हमारे सामने यह चुनौती थी कि नवगठित राज्य में लोकतांत्रिक परंपराओं को आगे बढ़ाने तथा विकासात्मक कार्यों में मीडिया की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नागरिक समाज संगठनों एवं संचार माध्यमों के बीच सेतु की भूमिका निभायें. हमें प्रसन्नता है कि विकास संचार की हमारी अवध ारणों एवं प्रयासों को नागरिक समाज संगठनों तथा संचार माध्यमों दोनों का ही भरपूर समर्थन मिला.

यह पुस्तिका इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है. हमें खुशी है कि रोजगार के अधिकार की मांग करने तथा इस पर जनचेतना अभियान संचालित करने में 'पैक्स' का नाम शामिल है। आशा है, यह पुस्तिका इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी. इसका प्रकाशन संभव बनानेवाले समस्त सहयोगियों तथा 'मंथन' की टीम को आभार!

**शरद तिवारी**

समन्वयक, पैक्स कार्यक्रम, झारखंड

# मुख्य बातें

- हर परिवार को साल में सौ दिन रोजगार की गारंटी
- हर इच्छुक ग्रामीण को रोजगार की उपलब्धता
- पंजीकृत परिवारों को मिलेगा जॉब कार्ड
- कार्य के लिए आवेदन स्वयं करना होगा
- रोजगार का समयबद्ध आवंटन
- रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता का भुगतान
- न्यूनतम मजदूरी की गारंटी
- कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं
- सोशल ऑडिट (अपना पैसा अपना हिसाब)
- महिलाओं को विशेष प्राथमिकता
- मजदूरी के भुगतान की सुनिश्चित व्यवस्था
- कार्यों का चयन परियोजना प्रस्ताव तथा कियान्वयन
- ठेकेदारी व मशीनों पर पूर्ण प्रतिबंध
- शिकायत प्रक्रिया एवं उचित कार्यवाही
- पांच किमी के भीतर मिलेगा रोजगार
- ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण पंचायत स्तर पर
- चोट लगने पर इलाज, नुकसान होने पर मुआवजा



# क्यों जरूरी है काम का अधिकार

**का**म का अधिकार सबके लिए जरूरी है. यह बात विभिन्न रूपों मे कही जाती रही है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया है. आखिर क्यों जरूरी है काम का अधिकार? दरअसल जीने का हक सबको है. हमार संविधान के 39वें अनुच्छेद में कहा गया है हर नागरिक, स्त्री और पुरूष, को उपयुक्त आजीविका का अधिकार है और समान काम के लिए समान मजदूरी होनी चाहिए. इसी तरह, संविधान के अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य अपनी क्षमता और विकास के अनुसार काम के अधिकार को सुरक्षित करने की व्यवस्था करेगा. लेकिन ये सारी बातें महज नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें मौलिक अधिकार के बतौर नहीं रखा गया था. ये केवल दिशा तथा नीति का संकेत हैं. इसे पूरा करने के लिए सूखे जैसी विपदा में गांवों में लोगों को अनाज के बदले काम जैसी योजनाएं चलायी जाती रही हैं.

अगर सबको जीने का हक है तो जीने के लिए रोटी और रोटी के लिए काम जरूरी है. लिहाजा, काम के अधिकार के बिना जीने का अधिकार छलावा है. सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि हर व्यक्ति को उसकी जीविका के लिए तय न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार मुहैया कराये. देश की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है और मेहनत–मजदूरी करके अपना पेट पालता है. ऐसे में, उन्हें रोजगार का अवसर सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इन लोगों का संवैधानिक अधिकार भी. अगर ऐसा होता है तो न केवल लोगों को उनकी दो वक्त की रोटी की सहूलियत हो सकेगी, बल्कि वे अपने जीवन स्तर में भी सुधार ला सकेंगे और उनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा. यही कारण है कि न्यूनतम मजदूरी के साथ रोजगार गारंटी की यह मांग गत वर्षों में राष्ट्रीय आंदोलन बन चुकी थी. अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनना एक बड़ी उपलब्धि है.

इसके लिए गांवों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए.

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका के लिए संसाधानों के आधार को सुदृढ़ करना है. राज्य परिषद विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक सूची तैयार करेगी. स्कीम के अंतर्गत सभी काम राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन समुचित व्यवस्थाओं के अधीन होगा. हालांकि किसी भी परिस्थिति में मजदूरों की मजदूरी दर देय रखा गया है. विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए मजदूरी दर राज्य सरकार द्वारा नियत दर के अनुसार देय होगा. वहीं अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दर इस प्रकार निर्धारित की जायेगी, कि सात घंटे तक परिश्रम से कार्य करने वाला व्यक्ति आम तौर पर मजदूरी दर के बराबर मजदूरी अर्जित कर सके.

इस योजना के तहत स्कीम में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी ठेकेदार को लगाने की इजाजत नहीं दी गयी है. साथ ही स्कीम के अधीन वित्त पोषित कार्य शारीरिक श्रम का उपयोग करके पूरा किया जायेगा न कि मशीन का स्कीम के अधीन किये जा रहे कार्यों के लिए सख्त मॉनिटरिंग और पारदर्शिता का प्रावधान रखा गया है. इसके तहत नियमित निरीक्षण और पर्यवेक्षण का प्रावधान रखा गया है. यदि जनता को स्कीमों के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी की जरूरत हो तो वह स्कीम को कार्यान्वित करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत से इसकी जानकारी मांग सकते हैं. इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित अधिकारी स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों तथा उपलब्धियों सहित एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसकी एक प्रति जनता की मांग पर उपलब्ध करायेंगे.

प्रधानमंत्री डॉ0 मनमोहन सिंह ने अपने दूसरे प्रेस वार्ता में सरकार के तीन उपलब्धियों में से पहली उपलब्धि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को बताया था. इस योजना के बाद इन 200 जिलों में पहले से चल रही काम के बदले अनाज योजना को इसी योजना में समाहित कर लिया गया है. बाकी जिन जिलों में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून लागू नहीं हो पाया है, उन जिलों में काम के बदले अनाज योजना का कार्यक्रम जारी रहेगा. इस कार्यक्रम



# सौ दिन रोजगार : अब कानूनी अधिकार

**भा**रत की आजादी के 58 साल बाद संसद ने यह कानून बनाया है. एक ऐसा कानून, जो गांव के गरीबों को रोजगार का अधिकार देता है. 23 अगस्त 2005 को हमारे देश की संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पारित कर दिया. दो फरवरी 2006 से इसे देश के 200 जिलों में लागू कर दिया गया. इस कानून के लागू होने के साथ ही अनुसूचित क्षेत्र के जिलों के कोई भी अकुशल व्यक्ति अधिकार पूर्वक सरकार से साल में 100 दिन का काम मांग सकता है. काम के लिए आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर सरकार यदि काम उपलब्ध नहीं कराती हैं, तो उसे काम के बदले हर्जाना स्वरूप बेरोजगारी भत्ता देना होगा.

देश के 200 जिलों में इस कानून के अंतर्गत झारखंड के 20, बिहार के 23 और पश्चिम बंगाल के 11 जिलों को शामिल किया गया है. इस कानून के तहत रोजगार हासिल करने की एक कानूनी गारंटी प्रदान की गयी है. इस कानून के नियोजन और क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है. जिसमें पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सामाजिक लेखा–जोखा और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने पर विशेष बल दिया गया है. इस कानून की एक खास विशेषता यह है कि इसमें रोजगार पाने वालों में महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी है. इस कानून में महिलाओं को प्राथमिकता दी गयी है. इस कानून में महिलाओं का हिस्सा एक तिहाई रखा गया है.

अधिसूचित देश भर के 200 जिलों में अकुशल मजदूरी का काम करने को इच्छुक कोई भी व्यक्ति रोजगार के लिए ग्राम सभा में पंजीकरण करा सकता है. उसके बाद उस पंजीकरण के आधार पर उसे जॉब कार्ड दिया जायेगा. इस कानून में यह भी व्यवस्था की गयी है कि आवेदक को घर से पांच

किलो मीटर के दायरे में काम दिया जायेगा, लेकिन किसी कारण वश ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो दूसरे जगह काम कराकर अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी.

इस कानून की बुनियादी सोच है कि जो भी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा मान्य न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्य करना चाहता है उसे रोजगार पाने की गारंटी होगी. साथ ही, जो भी वयस्क काम पाने का आवेदन दें उसे 15 दिन की अवधि में सार्वजनिक कार्यों पर काम पाने का अधिकार है. यह कानून सम्मान के साथ जीने के बुनियादी अधिकार को कानून द्वारा पाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है.

काम का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिये गये "गरिमा के साथ जीने का अधिकार" की पूर्व शर्त है, संविधान के अनुच्छेद 41 में भी देश के प्रत्येक नागरिक को काम के अधिकार की बात की गयी है.

गारंटी शुदा रोजगार के जरिये ग्रामीण गरीबों को आर्थिक असुरक्षा से बचाया जा सकता है, मोल भाव करने की उनकी ताकत में इजाफा किया जा सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के वास्ते संगठित होने में उन्हें मदद किया जा सकता है. भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारवादी पैरोकार भले ही 7 प्रतिशत विकास दर पर गर्व करें, लेकिन यह कटु सच्चाई है कि आज भी भारत की अधिकांश ग्रामीण जनता सरकार की योजनाओं से वंचित रहते हैं. जिसका प्रभाव गांवों में गरीबी बढ़ने से लोगों द्वारा रोजगार की तलाश में शहरों के तरफी भागना पड़ता है. शहरों में स्थायी रोजगार तो प्राप्त नहीं होता, उन्हें यहां भी मजदूरी का ही कार्य करना पड़ता है. शहरों की सीमित सुविधाओं में से उन्हें शहर के गंदे नाली एवं सड़क के किनारे अपना आशियाना बनाना पड़ता है. जिससे उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर ही खर्च कर देना पड़ता है.

भारत सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को देश के 200 जिलों में लागू कर दिया गया है. इस योजना के तहत प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के सिर्फ 22 जिलों का चयन किया गया. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा बेरोजगारी और गरीबी मिटाने की



दिशा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का रोजगार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा. हालांकि इससे बेरोजगारी जैसे समस्या से निजात तो नहीं पाया जा सकता, लेकिन बदहाली में जी रहे ग्रामवासियों को राहत अवश्य महसूस होगी. लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक यह कानून सिर्फ कागजों पर रहे या उसका आधा अधूरा क्रियान्वयन हो. अभी तक के बने सामाजिक कानून का इतिहास यही रहा है कि कानून बनने के बाद भी लोगों को अपनी हकदारी पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है.

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कानून 2005 को सफल बनाने के लिए जनता को उत्प्रेरित करने की व्यापक प्रक्रिया अपनानी होगी, क्योंकि गारंटी शुदा रोजगार की संगठित मांग जितनी मजबूत होगी उतनी ही सफलता से यह कानून लागू हो सकेगा. इसलिए इस दिशा में पहला कार्य होगा इस कानून को समझना, खासकर यह जानना कि "इस कानून के तहत हमारे क्या अधिकार है, इस कानून के पालन न होने से हमें कहां अपील करना होगा, और यह सभी कार्य इस योजना के लाभार्थियों से अपेक्षा नहीं किया जा सकता. इसके लिए इनके हकों एवं अधिकारों के लिए लड़ने वाले नागर समाज संगठनों को आगे आना होगा. तभी यह कानून अपने निश्चित लक्ष्यों को पाने में पूरक हो सकता है."

इस कानूनी योजना के अमल में ग्राम पंचायतों के साथ–साथ अन्य स्थानीय निकायों को भागीदारी बनाया गया है, फिर भी इसके बावजूद इसे अमल करने में विशेष सावधानी बरतनी होगी और यह कार्य कुशल निगरानी तंत्र के जरिये ही संभव है. योजना के मुताबिक केंद्र सरकार इस कार्य पर 90 प्रतिशत खर्च करेगी लेकिन इसको पूरा कराने की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकारों के पास होगा. परिवार के मात्र एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार देने से बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता. बेरोजगारी समाज में अनेक समस्याओं पैदा करती है, इसलिए बेरोजगारी जैसी समस्या से स्थायी हल सिर्फ गांवों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि से ही मुमकिन है.

4. ऐसा देखने को मिला है कि केंद्र सरकारों द्वारा घोषित अल्पकालिक या आपातकालीन रोजगार योजनाओं की उम्र बहुत कम रही है और सरकारें बदलते ही ये योजनाएं भी समाप्त हो जाती हैं. इसके ठीक वितरीत बड़े राजनीतिक बदलावों के बावजूद महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी कानून पिछले तीन दशकों से बना हुआ है और लाखों लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं. यानी रोजगार गारंटी का कानून काम के अवसरों की उपलब्धता को स्थायी रूप दे सकेगा जबकि अल्पकालिक योजनायें केवल कुछ समय के लिए राहत दे सकती है जिसे एक तय समय के बाद बंद कर दिया जाता है और लोगों के सामने काम की गारंटी का सवाल जस–का–तस बना रहता है.
5. रोजगार गारंटी कानून द्वारा काम के अवसर को स्थायी रूप से पाने के बाद इसका सबसे अच्छा प्रभाव काम करने वाले व्यक्ति के जीवन–स्तर पर पड़ेगा. रोजगार की स्थायी उपलब्धता से उसके परिवार, जैसे– बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर तो समुचित ध्यान दिया ही जा सकेगा, साथ ही यह महिलाओं के लिए भी आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करेगा.
6. देश में करोड़ों टन अनाज गोदामों में सड़ रहा है. दूसरी ओर लाखों लोग भुखमरी और कुपोषण के शिकार हैं काम के बदले अनाज इन स्थितियों से निपटने का एक बेहतर और उचित विकल्प हो सकेगा.
7. पिछले 10–15 सालों के आर्थिक सुधारों ने कृषि क्षेत्र को एकदम हाशिये पर पहुंचा दिया है. इन आर्थिक सुधारों ने कुछ खास क्षेत्रों में थोड़े बहुत रोजगार तो पैदा किये है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीबों की एक बड़ी तादाद रोजगार के अभाव को झेल रही है. रोजगार गारंटी कानून ऐसे लोगों के लिए काफी लाभप्रद हो सकता है.

जाहिर है कि रोजगार गारंटी कानून गांव के गरीबों को काम के अवसर तथा त्वरित विकास के नये रास्ते खोलने वाला एक सशक्त हथियार बनकर सामने आया है. झारखंड की जनता को इस कानून का भरपूर लाभ उठाते हुए इस नये राज्य को विकास की ओर ले जाना चाहिए.



में जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है. कार्यक्रम में भूमि संरक्षण, वन रोपण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, वृक्षारोपण, ग्रामीण संपर्क पथों के निर्माण आदि के कार्य लिये जा सकते हैं. योजना के सूत्रीकरण में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की प्रमुख भूमिका अंकित की गयी है. कार्यस्थल पर श्रमिकों को उचित सुविध ाायें प्रदान करने के लिए समुचित प्रावधान किया गया है. कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर रोजगार गारंटी काउंसिल बनायी गयी है. रोजगार गारंटी निधि का प्रावधान है. कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लोक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य स्थल पर स्थानीय लाभान्वितों के पांच से नौ सदस्यों की समिति का गठन किया जायेगा. जो कार्यस्थल के सब पहलूओं पर निगरानी रख सकेगी. इसमें मजबूत सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान रखा गया है.

## इस योजना में शामिल जिले–

***झारखंड–*** बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहेबगंज, सरायकेला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम.

इस कानून की एक विशेषता यह है कि अगर सरकार काम नहीं दे पायी तो बेकारी भत्ता देना होगा. एनआरइजीए के खंड सात में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि काम मांगने वाले मजदूरों के आवेदन की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर यदि सरकार काम नहीं देती है, तो काम मांगने वाले बेकारी भत्ता के हकदार होंगे. यह बेकारी भत्ता दैनिक मजदूरी के आधार पर दिया जायेगा. उसमें यह प्रावधान किया गया था कि, वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 30 दिनों के लिए देय बेकारी भत्ता मजदूरी दर के एक चौथाई से कम ओर वित्तीय वर्ष के शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के पचास प्रतिशत से कम नहीं हो. लेकिन बाद में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा कि बेकारी भत्ते की दर वित्तीय वर्ष के दौरान पहले तीस दिनों के लिए मजदूरी दर का आधा और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए तीन चौथाई से कम नहीं होनी चाहिए. समिति ने यह भी सिफारिश की, कि

बेकारी भत्ते का भुगतान बिना किसी शर्त के किया जाना चाहिए.

हालांकि केंद्र सरकार का मानना है कि बेकारी भत्ता देने की नौबत ही नहीं आयेगी, क्योंकि उनके पास काम देने के लिए पर्याप्त साधन है. हालांकि राज्य सरकार इस दिशा में और अधिक पहल करें और इस योजना से ज्यादा लोगों को जोड़ पायें, इसके तहत बेकारी भत्ता का प्रावधान किया गया है. चूंकि बेकारी भत्ता राज्य सरकार को अदा करना है, इसलिए राज्य सरकार इस योजना के प्रति गंभीर रहेगी. साथ ही वह इस योजना के प्रति लोगों में जागरुकता और रुचि भी पैदा करेगी.

इस कानून में एक तिहाई महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गयी है. इस प्रावधान में यह सुनिश्चित किया गया है कि जिन स्थानों पर किसी कारणवश महिलायें काम करने नहीं आ पायेगी, उन स्थानों पर पुरुषों से काम लिया जायेगा. लेकिन किसी भी हालत में महिलाओं की प्राथमिकता की बात को टाला नहीं जा सकता है. इस रोजगार गारंटी अधिनियम के लागू होने के बाद काम करने को लेकर उन महिलाओं को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिनके पास छोटे–छोटे बच्चे है, या फिर उनके बच्चे गोद से उतरने की स्थिति में नहीं है. इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कार्यस्थल पर दो–तीन महिलायें इस स्थिति में हों, जिनके पास छोटे बच्चे हों और उसे गोद में रखने की जरूरत हो तो जितने महिलायें काम करने आयेंगी, उसमें से ही पांच बच्चों पर एक महिला को उन बच्चों की देखभाल के लिए रखा जायेगा. देखभाल करने वाली उन महिलाओं को भी बराबर की मजदूरी दी जायेगी.



# रोजगार गारंटी कानून से लाभ

1. इससे लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और जीवन–स्तर में सुधार आयेगा. रोजगार के चयन के अवसर बढेंगे. लोग काम की उपलब्धता के लिए आपसी संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और असंगठित श्रम की स्थिति से भी ऊपर उठ सकेंगे. इसके अलावा, लोगों को न्यूनतम मजदूरी से भी कम दर पर काम करने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा. इस कानून के प्रभावी होने पर आवश्यकता के मुताबिक काम उपलब्ध हो सकेगा. यानी जब भी लोगों को काम की जरूरत होगी वो काम करने के अवसर पा सकेंगे.
2. विभिन्न अल्पकालिक रोजगार योजनाओं, जैसे अकाल राहत कार्यक्रम में काम की उपलब्धता लोगों की आवश्यकता के अनुरूप न होकर अधिकारियों की कृपा पर आधारित है. जहां काम की आवश्यकता है, वहां प्रशासनिक उपेक्षा के चलते काम के अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं. कुछ अवसर हों भी तो उनका लाभ प्रभावशाली लोगों या उनके करीबी लोगों को ही मिलता है. रोजगार गारंटी का कानून काम के इस पक्षपातपूर्ण और असामान्य वितरण को भी रोकेगा और सबको समान रूप से रोजगार का अवसर उपलब्ध हो सकेगा.
3. गांवों में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होना लोगों के पलायन के पीछे सबसे प्रमुख कारण है. फसल काटने के बाद लोगों (खासकर मजदूर वर्ग) के पास कोई काम नहीं होता, ऐसे में उन्हें अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है. रोजगार गारंटी कानून तेजी से हो रहे पलायन को रोकने का सबसे कारगर तरीका हो सकता है. इससे न केवल लोगों को अपने ही गांव–घर के आस–पास रोजगार उपलब्ध हो सकेगा बल्कि वे शहरों में पलायन के बाद की दुर्व्यवस्था और काम के नाम पर होने वाले शोषण से भी बच सकेंगे.

वार्ड सदस्य भी शामिल होंगे. टीम के सदस्य इस योजना के विषय में ग्रामीणों को विस्तार से बतायेंगे, रजिस्ट्रेशन ग्राम पंचायत में सालों भर होता रहेगा.

- इस कानून के तहत विकलांग व्यक्ति को भी काम पाने का अधिकार दिया गया है।
- सत्यापन का काम जल्द से जल्द किया जायेगा. किसी भी हालत में इसकी समय सीमा 15 दिनों से अधिक नहीं रहेगी.
- सत्यापन के बाद ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रेशन रजिस्टर में उन लोगों का नाम शामिल किया जायेगा, जिन्होंने काम करने के लिए आवेदन दिया था. प्रत्येक आवेदक का अलग–अलग रजिस्ट्रेशन नंबर होगा.
- यह नंबर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये बीपीएल रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों के आधार पर होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर को तत्काल आगे की योजना को तय करने सहित पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के प्रोग्राम अधिकारी के पास रिकार्ड में होगा. इसके बाद ग्राम सभा द्वारा रजिस्ट्रेशन कराये गये लोगों का नाम प्रकाशित करना अनिवार्य होगा.
- यदि कोई व्यक्ति गलत ढंग से रजिस्ट्रेशन कराता है या फिर उसके रजिस्ट्रेशन में उनके द्वारा दी गयी जानकारी गलत पायी जाती है, तो वैसे मामले को ग्राम पंचायत सीधे प्रोग्राम अधिकारी के पास भेजेगा. प्रोग्राम अधिकारी उस व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर या फिर अपने स्तर पर जांच कर जानकारी को गलत पाता है, तो ग्राम पंचायत उस रजिस्ट्रेशन को प्रोग्राम अधिकारी के सलाह पर रद्द कर सकता है.

## परिवार का मतलब

- रोजगार गारंटी कानून के अनुसार परिवार वह इकाई है जिसके सदस्य एक दूसरे से खून के रिश्ते से विवाह के रिश्ते या गोद लेने के रिश्ते से संबंधित है और सामान्य रूप से एक साथ रहते हैं साथ–साथ रहते हैं, साथ–साथ खाना खाते हैं या जिनका राशन कार्ड एक हो.



# रोजगार गारंटी कानून की विशेषताएं

यह कोई योजना नहीं बल्कि एक वैधानिक प्रावधान है.

- इसमें रोजगार की कानूनी गारंटी दी गयी है.
- इस अधिनियम के प्रावधानों के नियोजन एवं क्रियान्वयन का प्रमुख दायित्व पंचायतीराज संस्थाओं का है.
- संस्थागत मशीनरी के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेह, सामाजिक अंकेक्षण एवं जनसहभागिता को सुनिश्चित किया गया है.
- इसमें ग्रामीणों को अपनी समस्याएं एवं शिकायतें पेश करने का मौका दिया गया है.
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यक्षेत्र में कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो रोजगार पाना चाहता है वह ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज करा सकता है.
- ग्राम पंचायतों की यह भूमिका है कि वह उस व्यक्ति का रोजगार कार्ड जारी करे. इसमें किसी भी तरह का जातिगत या BPL श्रेणी की बात नहीं किया गया है.
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में श्रमिक को अपने घर से 5 किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार दिया जायेगा, अन्यथा उसको अतिरिक्त मजदूरी देना होगा.
- ग्राम सभा से लेकर जिला स्तर तक हर मामले का निबटारा 15 दिनों के अंदर किया जायेगा.

## इस कानून से मिले अधिकार :–

- रोजगार की मांग करने का अधिकार
- रोजगार की मांग किये जाने पर 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार
- 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार.

- 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार.
- कार्यक्षेत्र में कार्य करते वक्त पीने योग्य साफ पानी बच्चों के लिए छत तथा प्राथमिक उपचार की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार.
- राज्य में वैधानिक निर्धारित मजदूरी दर को प्राप्त करने का अधिकार.

## इस कानून से किसे लाभ होगा

- इस कानून का प्रभाव सबसे अधिक ग्रामीण परिवारों की गरीबी और भूखमरी से बचाने में मददगार होगा.
- रोजगार को लेकर शहरों या दूसरे राज्यों की ओर होने वाले पलायन में कमी आयेगी क्योंकि अब 100 दिन का रोजगार स्थानीय स्तर पर मिल जायेगा.
- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्थिति सशक्त होगी.
- गांवों की बुनियादी रोजगार के साथ–साथ स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग हो सकेगा.
- समाज में संतुलन बनेगा, समाज एक समता मूलक समाज की तरफ बढ़ने में अग्रसर होगा.
- मजदूरों की ताकत बढ़ेगी, वे संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में मजदूरी की दर तथा अपनी सुरक्षा संबंधी मामलों में अपनी शर्तें मनवा सकते हैं.

## किसे मिला है काम पाने का अधिकार

- यह कानून सभी वयस्क जो 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं उन्हें यह अधिकार देता है कि वे स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं. बशर्तें उन्हें काम करने की इच्छा हो यह कानून किसी भी जाति या बी.पी.एल कार्ड धारकों के लिए नहीं है बल्कि सभी जाति सभी वर्गों के लिए लागू किया गया है. शर्त यह है कि कार्य



करने की इच्छा हो और उसके लिए ग्राम सभा, प्रखंड कार्यालय में अपना पंजीयन कराया गया हो.

## वर्ष में व्यक्ति के कार्य की सीमा :

- यह कानून प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है. यहां पर वर्ष का आकलन 1 अप्रैल से 30 मार्च पूरे 12 महीने का मानक है हर वर्ष 1 अप्रैल से प्रत्येक परिवार को 100 दिन के रोजगार का कोटा शुरू होगा. यहां पर प्रत्येक परिवार का 100 दिन के रोजगार की गारंटी के रूप में वे अलग–अलग दिन या एक साथ भी कार्य कर सकते हैं. लेकिन एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन से अधिक रोजगार नहीं दिया जा सकता है.

## किसे मिलेगा काम, किस तरह

- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देना है, जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हो.
- अकुशल और व्यस्क सदस्य इस योजना के तहत काम पाने के लिए अपना नाम अपने पंचायत स्तर पर पंजीकृत करा सकते हैं. पंजीकरण के लिए एक सादे पेपर पर अपना नाम, पता, उम्र और पुरुष/महिला लिखकर स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन करें. यदि अनुसूचित/जनजाति के अंतर्गत आते हैं, तो उनका भी उल्लेख करना न भूलें.
- जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन के समय उनका उपस्थित होना आवश्यक है. आवेदन करने के पश्चात् ग्राम पंचायत के माध्यम से उसका सत्यापन किया जायेगा.
- इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि पंचायत स्तर के अधिकारी घर–घर जाकर काम करने के इच्छुक लोगों का पता लगायेंगे. इसका नेतृत्व ग्राम पंचायत के अध्यक्ष करेंगे, जबकि उनके साथ

- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन करना.
- सामाजिक अंकेक्षण के लिए ग्राम सभा को सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध करवाना.
- पंचायत कार्यालय में मस्टर रोलों की एक प्रति जनता द्वारा निरीक्षण के लिये तैयार रखना.
- योजना के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट बनाना.

**ग्रामसभा की जिम्मेदारियां :**

- ग्राम पंचायत को परियोजनाओं की अनुशंसा करना और ग्राम पंचायत को 'विकास योजना' तथा 'संभावित कार्यों की सूची' के विषय में अपने सुझाव देना.
- ग्राम पंचायत के दायरे में हुए कार्यों के क्रियान्वयन पर नजर रखना.
- ग्राम पंचायत में लागू की गयी सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण आयोजित करना.

## कैसे मिलेगा काम

- जो ग्रामीण काम करना चाहते हैं वे सर्वप्रथम ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण करवायेंगे. यह पंजीकरण पांच वर्ष में सिर्फ एक बार ही करवाना
- प्रत्येक मजदूर को काम करने के लिए स्वयं को आवेदन देना होगा और यह आवेदन जितनी बार कार्य की जरूरत पड़े हर बार करना होगा.
- प्रत्येक परिवार को अपना पंजीकरण कराने हेतु पंचायत को अपना आवेदन करना होगा और पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि वह पंजीकरण कर उसे एक जॉब कार्ड जारी करे.
- जॉब कार्ड ही यह सुनिश्चित करेगा कि मजदूरों को कितने दिनों तक का कार्य मिला उन्हें कितना भुगतान किया गया. बेरोजगारी भत्ता कब और कितना प्राप्त हुआ यह सभी जानकारी कार्ड में सुनिश्चित किया जायेगा.



## जॉब कार्ड क्या है, कैसा होगा

- रोजगार के इच्छुक लोगों को ग्राम पंचायत एक जॉब कार्ड देगी.
- इसमें काम करनेवाले व्यक्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी.
- एक व्यक्ति के जॉब कार्ड पर कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं कर सकेगा.
- जॉब कार्ड स्थानीय लोगों की उपस्थिति में जारी किया जायेगा.
- रजिस्ट्रेशन कराने के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करना अनिवार्य होगा.
- वयस्क व्यक्ति का फोटो भी जॉब कार्ड के ऊपर लगा होगा. साथ ही पूरा जॉब कार्ड लेमिनेटेड होगा.
- जॉब कार्ड और फोटोग्राफ की राशि प्रोग्राम खर्च में शामिल होगी.
- जॉब कार्ड की एक कॉपी ग्राम पंचायत में भी सुरक्षित होगी.
- यदि कोई जॉब कार्डधारी किसी कारणवश अपने आवास और वर्त्तमान पते में किसी भी तरह का बदलाव करता है, तो ग्राम पंचायत में इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा.
- यदि जॉब कार्ड खो जाये, तो ग्रामसभा में आवेदन करना होगा. दुबारा कार्ड बना दिया जायेगा.

## काम के लिए आवेदन कैसे करें

काम के लिए आवेदन सामान्यता ग्राम पंचायत में करना होगा. विशेष परिस्थिति में प्रोग्राम अधिकारी के पास भी किया जा सकता है. (क्योंकि हमारे राज्य में पंचायत चुनाव नही हुए हैं इसलिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एवम् पंचायत सेवक को काम के लिए आवेदन दें) आवेदन सादे पेपर पर सीधे और साफ अक्षरों में अंकित होना चाहिए. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जॉब कार्ड का उल्लेख करें. जब से आप काम करना चाह रहे हैं, उस तिथि या फिर कितने दिनों तक आप काम करना चाह रहे हैं, उसे लिखना न भूलें. अलग–अलग समयों के लिए अकेले या फिर समूह में आवेदन किया जा सकता है.

## रोजगार गारंटी दिन

ग्राम पंचायत अपने स्तर पर सप्ताह के दिनों में रोजगार गारंटी दिन का उल्लेख करेगी. यदि उन दिनों में किसी कारणवश काम नहीं दिया जाता है, तो उस अवधि को आगे के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है.

## रोजगार के अवसर

आवास के पते से पांच किलोमीटर के भीतर जॉब कार्डधारी को काम दिया जायेगा. वृद्ध और अकेली महिलाओं को उनके निवास के निकटतम स्थानों पर काम दिया जायेगा. साल में कम से कम 100 दिन रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी. यदि सरकार काम नहीं देती है, तो राज्य में लागू न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा.

## टाइम बाउंड रोजगार

ग्राम पंचायत/प्रोग्राम अधिकारी टाइम बाउंड रोजगार देने के लिए जिम्मेदार होंगे. आवेदन के स्लिप देने के 15 दिनों के भीतर उन्हें किसी भी हालत में रोजगार मुहैया कराना होगा. यदि किसी कारण ग्राम पंचायत काम देने में विफल होती है, तो उसके लिए प्रोग्राम अधिकारी जिम्मेदार होंगे. समय से काम शुरू न होने या फिर समय से काम न देने की स्थिति में भी प्रोग्राम अधिकारी जिम्मेवार होंगे. जिला पंचायत कॉऑडिनेटर प्रोग्राम ऑफिसर और ग्राम पंचायत के बीच तालमेल बिठा कर काम की मॉनिटरिंग भी करेंगे. सभी एजेंसी के पास राशि के भुगतान का रिकार्ड व रोजगार का रिकार्ड रखना अनिवार्य किया गया है. किये गये काम और जॉब कार्डधारी को दिये गये वेतन का हिसाब ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रोग्राम अधिकारी को भेजना अनिवार्य है. कोई परेशानी आने पर जिला प्रोग्राम कॉऑडिनेटर से संपर्क करें या फिर उनके पास शिकायत भेजें.

## केंद्र देगा पैसा, राज्य करेगा क्रियान्वयन

- रोजगार गारंटी योजना को केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये गये वित्त से राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित कराया जायेगा.



- क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी जिला एवं मध्यस्तरीय तथा ग्राम स्तर की पंचायतों की होगी.
- प्रत्येक जिले में एक जिला कार्यक्रम अधिकारी होगा जो जिले का जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी होगा.

### मध्य स्तर की पंचायत की जिम्मेदारियां :

- रोजगार गारंटी योजना के तहत कामों के 'प्रस्ताव' कार्यक्रम अधिकारी को भेजना.
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन कराना.
- खंड स्तर की योजना के अनुमोदन कर उसे अंतिम अनुमोदन के लिए जिला स्तर की पंचायत को भेजना.
- ग्राम पंचायत तथा खंड स्तर पर जो परियोजनायें चलायी जायें उनका निरीक्षण तथा निगरानी करना.
- राज्य परिषद इसके अतिरिक्त जो भी जिम्मेदारी सौंपे उनको निभाना.

## ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियां :

- योजना के तहत ग्राम सभा की अनुशंसा के आधार पर पंचायत की विकास योजना बनाना और संभावित कार्यों की सूची तैयार रखना.
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत जो लोग काम करना चाहते हैं उनका पंजीकरण करना तथा उन्हें जॉब कार्ड देना.
- काम के आवेदनों को प्राप्त करना तथा उन्हें ऐसी प्राप्ति रसीदें देना जिन पर तारीख लिखी गयी हो.
- आवेदकों के बीच रोजगार के अवसर आवंटित करना तथा उन्हें काम के लिए हाजिर होने की सूचना होगा.
- जिन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, उनके नामों की सूची सूचना–पट्ट पर लगाना.

## कब नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

- यदि आवेदक किसी स्कीम के अधीन उपलब्ध रोजगार स्वीकार नहीं करता है.
- यदि जिस व्यक्ति ने कार्य के लिए आवेदन किया है और वह या उसके परिवार का कोई भी सदस्य कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है.
- काम के लिए रिपोर्ट करने के लिए कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा अधिसूचित किये जाने के 15 दिनों के भीतर कार्य के लिए रिपोर्ट नहीं करता है.
- संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण से कोई आदेश प्राप्त किये बिना एक सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए कार्य से लगातार अनुपस्थित रहता है.
- किसी महीने में एक सप्ताह से अधिक की कुल अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है, तो वह तीन माह की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन देय बेकारी भत्ते का दावा करने का हकदार नहीं होगा, किंतु किसी भी समय स्कीम के अधीन नियोजन चाहने का हकदार होगा.
- अगर वह अवधि खत्म हो जाये जिसके लिए उसने रोजगार की मांग की थी.
- भत्ता पाने वाले व्यक्ति का किसी एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के काम को कोटा समाप्त हो जाये.
- उस परिवार को किसी एक वित्तीय वर्ष में रोजगार का भुगतान और बेरोजगारी भत्ता मिलाकर उतनी राशि प्राप्त हो जाये जो 100 दिन के काम से प्राप्त हो सकती है.

## प्राथमिक चिकित्सा सुविधा

- इस कानून के तहत होने वाले कार्यस्थलों पर फर्स्ट एड बॉक्स अर्थात प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स लगाने होंगे. इसमें खरोंच लगने,



- काम के लिए आवेदन लगातार चौदह दिनों के लिए देना होगा। आवेदन देन के बाद काम मिलने पर आवेदक या उसके परिवार के सदस्य को चौदह दिन तक काम करना ही होगा अन्यथा वह न तो बेरोजगारी भत्ता का हकदार होगा और न ही उसे अगले तीन माह तक काम मिलेगा।
- जॉब कार्ड भी 5 वर्ष के लिए मान्य होगा.
- कार्य प्राप्त करने के लिए आवेदकों को ग्राम पंचायतों में या सीधे कार्यक्रम अधिकारी के पास आवेदन करना होगा.
- कार्य के लिए कब और कहां उपस्थित होना होगा, इसकी जानकारी ग्राम पंचायतें तथा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर सार्वजनिक नोटिस लगा दिया जायेगा.
- पंजीकरण की इकाई तो परिवार है जबकि काम का आवेदन व्यक्ति के नाम से दिया जायेंगा.
- अगर किसी आवेदक को काम की सूचना दी जाती है, पर वह सूचना पाने के बाद 15 दिन की अवधि में काम के लिए हाजिर नहीं होता है, तो उसे अगले तीन माह तक के लिए काम से वंचित किया जायेगा.

## कैसे मिलेगी मजदूरी

- राज्य स्तर पर मजदूरों के लिए मान्य न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी, जब तक कि केंद्र सरकार इसे निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर कोई दूसरी मजदूरी दर की घोषणा न करे अगर केंद्र सरकार मजदूरी दर की घोषणा करती है तो वह 60 रुपये से कम नहीं होगी.
- मजदूरी का भुगतान रुपयों या वस्तु दोनों ही तरह से किया जा सकेगा लेकिन पूरी मजदूरी का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा रुपयों में ही दिया जायेगा.
- मजदूरी का भुगतान हर सप्ताह या किसी भी हाल में काम करने

की तारीख से एक पखवाड़े के अंदर किया जायेगा साथ ही राज्य सरकार चाहे तो मजदूरी में नकद दी जाने वाली राशि का दैनिक भुगतान किया जा सकेगा.

- अगर मजदूरों को समय से भुगतान नहीं किया गया तो वेतन भुगतान कानून 1936 के अनुसार मुआवजा पाने का हक होगा.
- मजदूरों का दर स्त्रीयों एवं पुरुषों के लिए एक ही होगा. लिंग आधारित भेद–भाव करने की यह कानून मनाही करता है.

## कार्यस्थल पर मिलेंगी विशेष सुविधाएं

- जहां भी मजदूरों के लिए कार्य सुनिश्चित किया जायेगा वहां पर मजदूरों के कल्याण एवं उनकी सुरक्षा से संबंधित सामग्री कार्य स्थल पर सुनिश्चित किया जायेगा. जैसे सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया, आराम करने का समय छोटी–मोटी दुर्घटनाओं और काम से जुड़े स्वास्थ्य खतरों के लिए सामग्री उपलब्ध रहेगा.
- इस कानून में विशेष रूप से यह सुविधा दी गयी है कि अगर किसी कार्यस्थल पर पांच या उससे अधिक संख्या में ऐसी औरतें काम कर रही हों और उनके पास 6 साल से कम उम्र के बच्चे उनके साथ आयें तो उनमें से एक महिला मजदूर को छोटे बच्चों की देख–भाल का कार्य सौंपा जायेगा और उसे शेष मजदूरों के समान ही मजदूरी पाने का अधिकार होगा.
- प्रत्येक मजदूर को वही कार्य करना होगा जो उन्हें ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सौंपा जायेगा.
- प्रत्येक मजदूर को आवेदन स्थल से अधिकतम 5 किमी के अंदर ही काम उपलब्ध करवाया जायेगा.
- लेकिन अगर किसी वजह से संभव नहीं हो पा रहा है तो उसे 5 किमी से अधिक दूरी पर रोजगार उपलब्ध कराने पर न्यूनतम मजदूरी से 10 प्रतिशत राशि अधिक देना अनिवार्य होगा.



## कैसे मिलेगा बेरोजगारी भत्ता

- ग्राम पंचायत में पंजीकृत जो भी व्यक्ति आवेदन करें उसे 15 दिन की अवधि तक काम उपलब्ध नहीं करवाया जा सका तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा.
- बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधे की दर से दिया जायेगा.
- पंजीकरण अधिकारी द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कम से कम दो गवाहों के समक्ष किया जायेगा. साथ ही गवाहों तथा भत्ता प्राप्त करने वाले आवेदक के हस्ताक्षर प्रारूप में प्राप्त करना होगा. इस सभी का साक्ष्य कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा.
- रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ बेरोजगार भत्ता पाने का आवेदन भी साथ में लगाना होगा.
- रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदक को सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे तभी उनके आवेदन पर विचार किया जायेगा.
- सभी आवेदन पत्रों की जांच कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा. वह जब आश्वस्त हो जायेगा कि आवेदन विधिवत पंजीकृत है और वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार है तब वह बेरोजगारी भत्ता देने हेतु पंजीकरण अधिकारी को निर्देशित करेगा लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को 10 दिन के अंदर पूरा करना अनिवार्य है.
- यदि किसी कारणवश ग्रामसभा रोजगार उपलब्ध कराने में स्वयं को असमर्थ पाती है तो वह प्राप्त आवेदन के बारे में 3 दिन के अंदर कार्यक्रम अधिकारी को अवगत करायेंगे एवं उसकी प्रतिलिपि जिला समन्वयक को भी दी जायेगी.
- अगर कार्यक्रम अधिकारी भी आवेदक को रोजगार उपलब्ध कराने में अपने को असमर्थ पाते हैं तो उन्हें इस संबंध में तीन दिन के अंदर जिला समन्यवक को सूचित करना पड़ेगा.

- अगर केंद्र सरकार को अनुदान के दुरूपयोग की शिकायत मिलती है जांच करने के बाद वह साबित हो जाये तो वह योजना के लिए वित्तीय अनुदान को रोकने का आदेश दे सकती है.

# पारदर्शिता व जवाबदेही के प्रावधान

## ग्राम सभा के स्तर पर

- कार्यक्रम की देख–रेख करने के उद्देश्य से स्थानीय समुदाय को शामिल करने के लिए प्रत्येक गांव में स्थानीय निगरानी एवं सतर्क समितियों का गठन किया जायेगा.
- क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम स्तरीय सत्तर्कता एवं मूल्यांकन समिति को कार्य का स्वरूप समय सीमा एवं गुणवत्ता के मापदंडों से अवगत करायेंगी.
- ग्राम स्तर पर ग्राम सभा द्वारा प्रत्येक कार्य की निगरानी की जायेगी.
- प्रत्येक पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड उपलब्ध होगा. इसके आधार पर रोजगार की मांग करने वाले आवेदकों को रोजगार मिल सके तथा ग्राम सभा द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया जॉब कार्ड का वितरण तथा मजदूरी के निर्धारित समय पर भुगतान की प्रक्रिया की भी समीक्षा किया जायेगा.
- रोजगार से संबंधित सभी दस्तावेजों को जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराने का भी प्रावधान होगा.
- हरेक व्यक्ति को इन दस्तावेजों की प्रति पाने का हक होगा, इसके लिए कम से कम शुल्क अदा करना होगा.
- ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों में उल्लेखित शुल्क देकर मस्टर रोल की प्रतियां निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी.
- ग्राम पंचायत सभी संबंधित दस्तावेज (मस्टर रोल, बिल, वाउचर,



चोट लगने, हाथ में मोच आने, हाथ–पांव कुचल जाने आदि से संबंधित दवायें होगी, जिससे श्रमिकों को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा सके.

- यदि किसी व्यक्ति को, उसके नियोजन के कारण और काम के दौरान किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो वह निःशुल्क चिकित्सीय उपचार का हकदार होगा.
- दुर्घटना के दौरान यदि क्षतिग्रस्त कर्मचारी को अस्पताल में भरती करना आवश्यक हो, तो राज्य सरकार कामगारों को अस्पताल में भरती होने के लिए, जिसके अंतर्गत आवास, उपचार, क्षति चिकित्सा शामिल है, की व्यवस्था करेगी. साथ ही कार्य के दौरान यदि इस तरह की क्षति होती है, तो सरकार उसके देय भत्ते का आधा के दर से भुगतान भी करेगी.
- यदि नियोजित व्यक्ति के साथ आने वाले बच्चे को दुर्घटनावश कोई शारीरिक क्षति पहुंचती है, तो उसे चिकित्सीय सुविधा और अनुग्रह राशि मिलेगी. श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर स्वच्छ पेय जल, बच्चों के लिए आराम की सुविधा के लिए शेड, छोटे–मोटे नुकसान से निबटने के लिए उपचार की पर्याप्त सामग्री सुविधायें प्रदान की जायेगी.

## कार्यस्थल पर शारीरिक नुकसान होने पर

- अगर कोई मजदूर कार्य के दौरान किसी भी तरह के दुर्घटना से घायल होता है तो उसे योजना के तहत स्वीकृत निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराया जायेगा.
- अगर उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तो उसके अस्तपताल में रहने व उपचार से संबंधित सभी खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जायेगा. साथ ही, प्रतिदिन के मजदूरी का आधा पैसा भी उसे प्राप्त होगा.

## मृत्यु या अपंग होने पर

- कार्यरत व्यक्ति की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु होने पर पचीस हजार रुपया मुआवजा दिया जायेगा.

- स्थायी या पूर्ण अपंग होने पर पचीस हजार रुपया मुआवजा मिलेगा.
- हाथ–पैर या आंख अक्षम होने पर पंद्रह हजार रुपया मुआवजा दिया जायेगा.
- एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर दस हजार रुपया मुआवजा दिया जायेगा.
- यह राशि मृत्यु होने पर उसके घोषित उत्तराधिकारी को तथा अन्य स्थिति में स्वयं उस व्यक्ति को मिलेगी.

## महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

- इस कानून में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी कुल काम जितने लोगों को मिलेगा उसमें एक तिहाई संख्या महिलाओं की होगी. यानी एक गांव में अगर 100 लोगों को रोजगार दिया जाता है तो उसमें 33 महिलाओं की संख्या होगी.
- जहां पर कार्य चल रहा हो वहां पर महिलाओं के साथ आने वाले 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जिनकी संख्या 5 से अधिक हो उनके लिए झूलाघर बनाया जायेगा. बच्चों के लिए पानी व अन्य सुविधायें उपलब्ध होंगी.
- इन कानून के माध्यम से महिलाओं को इस आधार पर वंचित नहीं किया गया है कि आपके बच्चे छोटे हैं बल्कि कानून उन्हें भी प्रोत्साहित करता है.

## मशीन एवं ठेका पर रोक

- रोजगार गारंटी कानून इस पूरी व्यवस्था के संचालन में ठेकेदारी प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर बनाये गये किसी भी योजना के क्रियान्वयन में मशीनों का उपयोग पर भी प्रतिबंध होगा. यह कानून मजदूरों के हकों एवं उनके अधिकारों को संरक्षित करता है.

## केंद्र व राज्य पर कितनी राशि का दायित्व



- केंद्र सरकार को रोजगार गारंटी में लगाये गये सभी मजदूरों को पूरा भुगतान और सामग्री पर आने वाला खर्च का तीन चौथाई भाग देना है. जबकि राज्य सरकार को सामग्री के खर्च की एक चौथाई राशि और बेरोजगारी भत्ते के लिए वित्त देना है.
- लेकिन मजदूरी+सामग्री का अनुपात 60:40 है, तो राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने पर आने वाले कुल खर्च का मात्र 10 प्रतिशत और बेरोजगारी भत्ता चुकायेगी.

## आठ तरह के कामों को प्राथमिकता मिलेगी

1. जल संरक्षण व जल संग्रहण
2. अकाल से बचाव, वृक्षारोपण, वनरोपण
3. सिंचाई हेतु नहर एवं सूक्ष्म व लघु सिंचाई के कार्य
4. भूमि सुधार या इंदिरा आवास योजनाओं के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करवाने वाले कार्य
5. परंपरागत जल स्रोतों का नवीनीकरण एवं पोखरों– तालाबों की मिट्टी हटाना
6. भूमि विकास
7. बाढ़ नियंत्रण व बचाव के कार्य जिसमें पानी जमा होने वाले इलाको से पानी निकास की व्यवस्था भी शामिल है.
8. ग्रामीण इलाकों के जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण

   इनके अलावा ऐसे अन्य कार्यों की सूची राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा बनायी जायेगी.

नये कार्य केवल तभी प्रारंभ हो सकेंगे जब कम से कम 50 मजदूर ऐसे काम के लिए उपलब्ध होंगे साथ ही, इन मजदूरों को अन्य चल रहे कामों में नहीं खपाया जा सकता है. लेकिन राज्य सरकार पहाड़ी इलाकों में तथा वनीकरण के प्रयासों से संबंधित मामलों में इसे परिवर्तित कर सकती है.

## इस कानून में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय

पर भी न्यूनतम मजदूरी पर विचार किया और यह पाया कि राष्ट्रीय स्तर पर इस समय न्यूनतम मजदूरी दर 66 रुपये है. इसके बाद यह सिफारिश की गयी कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाये ताकि मजदूरी राष्ट्रीय स्तर पर एक समान मजदूरी के 75 प्रतिशत के बराबर हो अथवा राज्य सरकारों की न्यूनतम मजदूरी, जो भी अधिक हो, के बराबर हो. इसलिए यह तय किया गया कि काम करने के समय और काम करने के स्थान के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी. मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक रूप से होगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में भुगतान की यह अवधि 15 दिनों से अधिक की नहीं होगी, न ही प्रतिदिन के काम के आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जायेगा.

यदि काम करने वाले अकुशल मजदूरों को अपने क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी दर का पता नहीं हो, तो वह संबंधित अधिकारी से इस विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते है. वैसे इस योजना में यह भी प्रावधान किया गया है कि काम और क्षेत्र के आधार पर दैनिक मजदूरों के नाम के आगे उनकी मजदूरी दर को भी लिखा जाये. इसके लिए काम के स्थान और ग्राम पंचायत के साइनबोर्ड पर भी लिखने का प्रावधान किया गया है. इससे मजदूरी करने वाले अपनी मजदूरी दर और सप्ताह के मजदूरी के विषय में जानकारी रहेगी. इसमें किसी भी तरह की आशंका होने पर आप तत्काल निरीक्षण करने आने वाले पर्यवेक्षक से इसकी शिकायत कर सकते हैं, केंद्र सरकार और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस महत्त्वाकांक्षी योजना का दायित्व अब राज्य सरकारों पर टिका है. राज्य सरकारों की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह इस योजना के क्रियान्वयन के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें.

## अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा

इस कानून के तहत अधिकारियों को दी गयी जिम्मेदारी में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर उसे दंडित करने का अधिकार भी रखा गया है. एक्ट का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित अधिकारी को, दोषसिद्ध होने पर जुर्माना देना पड़ेगा. इस अधिनियम में पारदर्शिता और दायित्व का विशेष



नाप–जोख का खाता स्वीकृत आदेशों की प्रतियां व अन्य हिसाब–किताब और दस्तावेज) ग्राम सभा को उपलब्ध करायेगी ताकि वह इनका सामाजिक अंकेक्षण कर सकें.

## शिकायत एवं समाधान की प्रक्रिया :

- स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा रोजगार उपलब्ध न कराने पर
- बेरोजगार भत्ते का भुगतान समय से न होने पर
- कार्यस्थल पर सुविधाओं का अभाव होने पर
- मशीनों एवं ठेकेदारों का उपयोग होने पर
- महिलाओं के साथ भेदभाव होने पर

इस प्रकार की शिकयतें जिला कार्यक्रम अधिकारी को लिखित रूप से सभी सबूतों के साथ देनी होगी. समुचित जांच के बाद कार्यवाही होगी.

## रोजगार गारंटी योजना का ऑडिट

- योजना के अंतर्गत सभी कार्यों के वित्तीय अंकेक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है और इस वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक जिले द्वारा किया जायेगा.

## सामाजिक अंकेक्षण

- प्रत्येक कार्य का संपादन अनुश्रवण प्रगति तथा गुणवत्ता का आकलन करने के लिए प्रत्येक ग्राम स्तर पर एक सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जायेगा समिति का कार्यक्षेत्र संपादित किये जाने वाले कार्यस्थल से संबंधित ग्राम होगा.
- ग्राम सभा की प्रत्येक त्रैमासिक बैठक में रोजगार की मांग पंजीयन जॉब कार्ड कार्य पर कार्यरत लोगों की सूची अथवा ऐसे लोगों की सूची जिन्हें रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है किये गये भुगतान की राशि, अकुशल मानव श्रम पर किये गये भुगतान कार्य पूर्ण करने में लगा समय कुशल श्रमिक, सामग्री सृजित मानव दिवस के सभी प्रतियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी.

## स्थानीय स्तर पर आवश्यक दस्तावेजः

- जॉब कार्ड रजिस्टर :— प्रत्येक ग्राम पंचायत के पास एक रजिस्टर होगा. पंजीकृत लोगों की सूचना इसमें दर्ज होगी.
- रोजगार की मांग के लिए रजिस्टर :— प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा एक रजिस्टर बनाया जायेगा जिसमें रोजगार प्राप्त करने वाले आवेदकों की जानकारी रखी जायेगी.
- रोजगार रजिस्टर :— प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा एक रजिस्टर बनाया जायेगा. जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को काम करने वाली एजेंसी द्वारा दिये गये रोजगार की जानकारी रखी जायेगी.
- परिसंपत्ति रजिस्टर :— काम कराने वाली एजेंसी द्वारा प्रत्येक स्तर पर एक परिसंपत्ति रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें स्वीकृत किये गये कार्य, क्रियान्वित किये गये कार्य, पूरे किये गये कार्य का विस्तार से विवरण लिखा जायेगा.
- मस्टर रोल :— प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्रियान्वयन एजेंसी मस्टर रोल बनायेगी जिसमें काम करने वाले व्यक्ति का नाम जॉब कार्ड क्रमांक, उपस्थिति/अनुपस्थिति की तारीख, भुगतान की गयी राशि, दिये गये अनाज का विवरण तथ प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे की निशानी ली जायेगी.
- शिकायत पुस्तिका :— प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में एक शिकायत पुस्तिका रखी जायेगी, जिसमें योजना से संबंधित शिकायतों को दर्ज किया जायेगा. जिससे शिकायतों का निराकरण शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं समयावधि में किया जा सके.
- बेरोजगारी का रजिस्टर :— प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक बेरोजगारी भत्ता का रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें आवेदकर्ता का नाम, पंजीयन, क्रमांक, बेरोजगारी भत्ता, स्वीकृति



आदेश का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान की राशि एवं तिथि का उल्लेख होगा, ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक माह उक्त विवरण जनपद पंचायत को उपलब्ध करायेगी. जहां पर जनपद स्तरीय जानकारी संकलित किया जायेगा.

- भुगतान रजिस्टर :— प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा एक भुगतान रजिस्टर तैयार किया जायेगा, जिसमें सभी स्तरों पर किये भुगतान का विवरण दर्ज किया जायेगा.
- कार्यस्थल पर निरीक्षण पुस्तिका :— प्रत्येक कार्यस्थल पर क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका तैयार की जायेगी जिसमें सभी तरह की जानकारी दर्ज की जायेंगी.

## न्यूनतम मजदूरी तय करने का आधार

इस कानून में मजदूरी दर 1948 के मजदूरी अधिनियम के आधार पर तय की गयी है. यह दर विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग—अलग है. 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी उस क्षेत्र में लागू मजदूरी दर समझी जायेगी. मजदूरी दर के संबंध में विभिन्न संगठनों ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के समक्ष अपनी बात रखी थी. एक ओर जहां केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर को कम बताने की आशंका जतायी गयी, वहीं कहीं केंद्र सरकार द्वारा तय की जानेवाली मजदूरी दर राज्य सरकार की मजदूरी दर से ज्यादा होने की बात बतायी गयी. समिति ने यह पाया कि इससे कुछ राज्यों में मजदूरी दर को लेकर असंतोष पैदा हो सकता है. दोनों परिस्थितियों में असंतुलन का खतरा बरकरार था. इस स्थिति से निजात पाने के लिए यह तय किया गया कि विभिन्न राज्यों में मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी दर के तहत ही काम करने वालों को मजदूरी का भुगतान किया जाये. क्योंकि अलग—अलग मजदूरी दर का प्रावधान है. **झारखंड में इस कानून के तहत प्रत्येक मजदूर को काम के बदले न्यूनतम मजदूरी 73.78ѣ रूपये निर्धारित की गयी है।** ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय आधार स्तर (फ्लोर लेवल)

# झारखंड में पंचायत न होना बड़ी समस्या

**झा**रखंड के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का खास महत्त्व है. देश के जिन दौ सौ जिलों में इसे लागू किया गया है, उनमें से बीस जिले झारखंड के हैं. इस तरह राज्य के बाइस में से बीस जिलों का इस योजना में शामिल होना काफी महत्त्वपूर्ण बात है.

झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने इस योजना को 'झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के नाम से लागू किया है. इसके लिए एक दस्तावेज भी जारी किया गया है, जिसमें झारखंड में इसे लागू किये जाने संबंधी पहलुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है.

झारखंड में इस योजना को सही ढंग से लागू करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं. इस योजना को लागू करने में पंचायतों की सर्वाधिक भूमिका है, जबकि झारखंड में पंचायत का अस्तित्व ही नहीं है. पंचायत नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण कौन करेगा? इस योजना के तहत सभी कार्यक्रमों के चयन तथा सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेवारी भी पंचायतों को दी गयी है.

झारखंड में पंचायत नहीं होने के कारण इन सभी चीजों को लागू करने में बाधा उत्पन्न होगी. हालांकि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दस्तावेज में इस बाधा को समझते हुए अंतरिम प्रबंध किये गये हैं. दस्तावेज के अध्याय दो के खंड चार में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का जिक्र किया गया है। इसके नवें बिंदु में कहा गया है कि अगर पंचायती राज संस्थाओं का अस्तित्व न हो तो निम्नलिखित अंतरिम प्रबंध किये जायेंगे–



प्रावधान किया गया है. पारदर्शिता के लिए केंद्र सरकार ने जो मानक तय किये हैं, उस पर राज्य सरकार के अधिकारियों को काम करने की सलाह दी गयी है. जिला कार्यक्रम और समन्वयक तथा जिला के सभी कार्यक्रम अभिकरण को योजना के व्यय के लिए दी जाने वाली राशि को उचित उपयोग और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. राज्य सरकार स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में श्रमिकों के नियोजन और व्यय की समुचित खाता–बही रखेगी, राज्य सरकार, नियमों द्वारा, स्कीमों और स्कीमों के अधीन कार्यक्रमों के उचित निष्पादन के लिए स्कीमों के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने लिए, की जानेवाली व्यवस्थाओं को निर्देशित कर सकेगी. नकद रूप में मजदूरी और बेकार भत्ते, सीधे संबद्ध व्यक्ति को और पूर्व घोषित तारीखों पर समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में दिये जायेंगे. ग्राम पंचायत द्वारा किसी स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई विवाद या शिकायत उत्पन्न होती है, तो वह मामला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा. कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत को उसके द्वारा रखे शिकायत रजिस्ट्रर में दर्ज करेगा और विवादों तथा शिकायतों को उसकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर निपटायेगा. यदि मामला किसी अन्य विभाग और प्राधिकरण से संबंधित हो, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सुलझाया जाना है, तो शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए, संबंधित प्राधिकारी को भेजेगा. जो कोई इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसके दोष सिद्ध होने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा. पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन की मॉनिटरिंग करेगी. स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेगी. साथ ही ग्राम पंचायत, सभी दस्तावेज, जिसके अंतर्गत मास्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिकायें, मंजूरी आदेशों की प्रतियां, संबंधित लेखा–बही और कागजात पत्र की सामाजिक समीक्षा के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध करायेगी. राज्य सरकार, स्कीम के कार्यान्वयन की बाबत किसी व्यक्ति द्वारा की गयी शिकायत के लिए नियमों के तहत ब्लाक और जिला स्तर पर

शिकायत दूर करने हेतु समुचित तंत्र विकसित करेगी और ऐसी शिकायतों का निपटारा करेगी.

## केंद्रीय व प्रांतीय परिषद

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में केंद्रीय नियोजन गारंटी परिषद और राज्य नियोजन गारंटी परिषद के नाम से एक परिषद का गठन करने का सुझाव केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति ने दिया है। इस परिषद के गठन के पीछे केंद्र और राज्य के स्तर पर कार्यक्रम के कियान्वयन में पारदर्शिता के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करना रहा है. केंद्र और राज्य स्तर पर गठित होने वाले ऐसे परिषदों के गठन के बारे में विस्तार उल्लेख किया गया है, लेकिन आम जनता ऐसे परिषदों के गठन के विषय में विस्तार से नहीं जानती है। आखिर ऐसे परिषदों के गठन का उद्देश्य, उनके कार्य और उनकी उपयोगिता केंद्र और राज्य स्तर पर क्या होगी? इस परिषद के गठन के विषय में नियम बनाये गये हैं, लेकिन उसका पालन यदि राज्य सरकार के स्तर पर नहीं किया जाता है, तो यह किसकी जिम्मेवारी होगी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख परिषद के गठन में नहीं बताया गया है.

इस परिषद में महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक तिहाई रखने का प्रावधान स्पष्ट है. केंद्रीय परिषद विभिन्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिन्हें केंद्र सरकार नियुक्त करेगी. केंद्रीय परिषद के गठन और उनके कर्तव्यों का पालन और निर्वहन के विषय में भी दिशा–निर्देश बनाये गये हैं. इस परिषद का काम केंद्रीय मूल्याकंन और मॉनीटरी प्रणाली स्थापित करना, अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विषयों पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना, समय–समय पर मॉनिटरी और मूल्याकंन करने के साथ ही इस अधिनियम के स्कीमों की जानकारी का विस्तार से प्रसार करना शामिल है. इस परिषद का काम इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्रीय सरकार द्वारा संसद के समक्ष रखे जाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है. इस परिषद का काम इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर केंद्रीय सरकार द्वारा संसद के



समक्ष रखे जाने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है. इसके अलावा अन्य कर्तव्य और काम जो केंद्रीय सरकार या अनुदेशित किये जायें. केंद्रीय परिषद को इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी विभिन्न स्कीमों का मूल्यांकण करने की शक्ति होगी और उस प्रयोजन के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्कीमों के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़ें संग्रहित करेगी या करायेगी.

1. इस परिषद में एक अध्यक्ष होंगे.
2. केंद्रीय मंत्रालयों के, जिनके अंतर्गत आयोग भी है, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी या प्रतिनिधि होंगे. साथ ही राज्य सरकार की ओर से भी उतनी ही संख्या में पदाधिकारी या प्रतिनिधि होंगे. 3. पंचायती राज्य संस्थाओं कर्मकार संगठनों और असुविधाग्रस्त समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 15 से कम नहीं होनी चाहिए.
4. लेकिन ऐसे गैर सरकारी सदस्यों में केंद्र सरकार द्वारा एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए बारी–बारी से जिला पंचायतों के दो अध्यक्ष सम्मिलित होंगे. इसमें एक तिहाई गैर सरकारी सदस्य महिलायें होगी. साथ ही गैर सरकारी सदस्यों के एक तिहाई सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों के होंगे. राज्यों की उतनी संख्या में प्रतिनिधि होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों के अधीन होंगे. जबकि भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर का एक सदस्य सचिव होगा.

## कार्य पर उपस्थित होने हेतु सूचना

प्रति, श्री / श्रीमती / कु. ..................................................पंजीयन क्र. ..........

उम्र.....................................................

पंचायत ...........................................................

संदर्भ :– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आपका आवेदन पत्र दिनांक ..........................................

आपको सूचित किया जाता है कि कृपया आप निम्नलिखित कार्यस्थल पर पत्र प्राप्ति के सात दिन के अंदर क्रियान्वयन अधिकारी (अथवा उनके प्रतिनिधि) ..................................... के समक्ष उपस्थिति देवें.

कार्यस्थल.........................................          हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रधान ग्राम पंचायत

स्थान –          कार्यक्रम अधिकारी

दिनांक–          पंचायत..................................

यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि वृद्धजन एवं महिलाओं को 5 किमी के दायरे में कार्य उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जाये.

### रोजगार की उपलब्धता की जानकारी

ग्राम पंचायत ...............................................(दिनांक .............से.............तक)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |



1. झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के योजना निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा सामाजिक अंकेक्षण का दायित्व ग्राम सभा / ग्राम पंचायत / पंचायत समिति / जिला परिषद् के ऊपर होगा.

2. लेकिन जबतक पंचायती राज की संरचना अस्तित्व में नहीं आती है तब तक यह दायित्व ग्राम सभा / प्रखंड स्तरीय निगरानी सह निरीक्षण समिति तथा डीआरडीए के ऊपर होगा.

इस तरह झारखंड सरकार ने फिलहाल एक तात्कालिक प्रबंध करने का प्रयास किया है, लेकिन जबतक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो जाता है तब तक योजना को इस राज्य में समुचित तरीके से लागू करना संभव नहीं हो पायेगा. यह झारखंड के लिए दुर्भाग्य की ही बात है कि यहां लगभग 25 साल से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं. अविभाजित बिहार के दौर में पंचायत चुनाव को लगातार टाला जाता रहा. झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बिहार में तो पंचायत चुनाव हो गये, लेकिन आरक्षण व अन्य विवादों को लेकर झारखंड को पंचायत चुनाव से वंचित रहना पड़ा.

लिहाजा, यह बेहद जरूरी है कि झारखंड में तत्काल पंचायत चुनाव कराये जायें ताकि इस राज्य को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का भरपूर लाभ दिलाया जा सके. साथ ही, यह भी जरूरी है कि राज्य के सुदूर इलाकों तक इस योजना के संबंध में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर हर जगह इस योजना को लागू करने का माहौल बनाया जाये. जिन लोगों के लिये देश की संसद ने यह कानून पारित किया है, उन्हें वास्तव में इसका पूरा लाभ मिल सके, इस दिशा में सामाजिक संगठनों, सरकारी मशीनरी एवं मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभानी होगी. इस योजना के माध्यम से पंचायतों को मिलने जा रही समस्त राशि को झारखंड के गांवों तक पहुंचाने तथा उसका सदुपयोग करने में सफलता मिल सकी तो यह इस नवगठित झारखंड राज्य के त्वरित विकास की एक ठोस शुरूआत हो सकती है.

आशा है, झारखंड इस कानून का समुचित लाभ उठायेगा.

### राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
# पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

1. आवदेक का नाम ..........................................................
2. आवेदक की आयु ..........................................................
3. लिंग (पुरुष/महिला) ..........................................................
4. निवास स्थान ..........................................................
5. ग्राम पंचायत ..........................................................
6. जनपद पंचायत ..........................................................
7. अजा/अजजा/इआयो/ ..........................................................
भूमि सुधार हितग्राही

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी जानकारी अनुसार है.

आवेदक के हस्ताक्षर/
अंगूठा निशानी

परिवार के मुखिया हस्ताक्षर/
अंगूठा निशानी

दिनांक ..........................................



## रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र की पावती

प्रमाणित किया जाता है कि रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत श्री/कुमारी/कु.......................................................निवासी........................................ ............से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र दिनांक.........................को प्राप्त किया गया है. आवेदक का नाम रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ग्राम. .......................में दर्ज है. उनका पंयीजन क्रमांक...................एवं रोजगार पत्र जारी होने का दिनांक..........व क्रमांक................है.

स्थान :
दिनांक :

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर/
पदनाम एवं मुहर

पंजीयन अधिकारी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने हेतु संधारित रजिस्टर

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# बेरोजगार भत्ते हेतु आवेदन पत्र

प्रति, कार्यक्रम अधिकारी
पंचायत........., जिला................

**विषय : बेरोजगारी भत्ता के भुगतान हेतु आवेदन**

निवेदन है कि मेरे द्वारा बेरोजगारी भत्ता का भुगतान करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्मानुसार है :–

1. नाम ..............................
2. पता ................................
3. लिंग ................................ 4. उम्र ..................
5. पंजीयन कमांक ..............................6. पंजीयन तिथि.............
7. रोजगार पत्र क. .................
8. रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की तिथि एवं जिसे प्रस्तुत किया गया उसका नाम ...................................................................
9. कितने दिवसों के लिये बेरोजगारी भत्ते का दावा किया गया .......
10. बेरोजगारी भत्ते का दावा किस दिनांक से किया गया.........

मैं...............................................निवासी ................................शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में बेरोजगारी भत्ता हेतु दावा किये गये समय में मुझे कोई भी रोजगार अथवा स्वरोजगार उपलब्ध नहीं था तथा मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि यह सिद्ध होता है कि उक्त समय में मुझे रोजगार प्राप्त था तो शासन से प्राप्त बेरोजगारी भत्ते की राशि को मेरे द्वारा शासन के पक्ष में वापस कर दिया जायेगा.

दिनांक............................ आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/
अंगूठा निशानी

## बेरोजगार भत्ता स्वीकृत आदेश

प्रति, पंजीकरण अधिकारी
ग्राम पंचायत
श्री/श्रीमती/कु ...............................पंजीयन क्रमांक........
रोजगार पत्र क्रमांक..................................... निवासी ग्राम ........................ को
दिनांक ............... से ................ तक बेरोजगारी भत्ते की राशि रू. ............... के
भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
दिनांक : कार्यक्रम अधिकारी
स्थान : हस्ताक्षर/ पदनाम/ सीील

प्रतिलिपि :
श्री/श्रीमती/कु ..............................................निवासी ग्राम .........................द्वारा
बेरोजगारी भत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में सूचनार्थ.

कार्यक्रम अधिकारी
हस्ताक्षर/ पदनाम/ सील

## बेरोजगारी भत्ता अस्वीकृति आदेश

श्री/श्रीमती/कु................................................पंजीयन क्र. .......................
ग्राम .................................................................... पंचायत .......................
संदर्भ : बेरोजगारी भत्ता हेतु आपका आवेदन दिनांक .......................
दिनांक ....................से दिनांक ...............................तक की समयावधि हेतु दावा
किये गये बेरोजगारी भत्ता का आपका आवेदन पत्र निम्न कारणों से निरस्त
किया जाता है :–

..........................................................................................

..........................................................................................

स्थान : कार्यक्रम अधिकारी
दिनांक : हस्ताक्षर/पदनाम/सील



# रोजगार गारंटी कानून

## बनाम

# रोजगार गारंटी योजना

**रोजगार गारंटी कानून सभी राज्य सरकारों को निर्देशित करता है कि वे आगामी छह माह के अंदर एक रोजगार गारंटी योजना बनाये ताकि गारंटीशुदा रोजगार मिले.**

**यह अधिनियम ही वह कानूनी आधारशिला उपलब्ध करवाता है जिस पर रोजगार की गारंटी टिकी है और योजना एक माध्यम है जिसके जरिये यह गारंटी प्रभाव में आती है.**

**यह कानून एक राष्ट्रीय कानून है जबकि योजनाएं राज्यों की आवश्यकता के अनुसार बनायी जाती है.**